भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय गोड्डा

आर0ई0आर0 वाद सं0–03/2012–2013

बीबी नजबुन.....वादी

बनाम्

मु0 जमालुद्दीन.....प्रतिवादी

–:आदेश:–

18/8/23

अभिलेख उपस्थापित। दोनो पक्ष अनुपस्थित रह रहे है। यह वाद बीबी नजबुन जौजे बुद्दीन मियाँ साकिन–फसिया डंगाल गंगटा खूर्द, थाना–गोड्डा जिला–गोड्डा विपक्षीगण के विरूद्ध मौजा–गंगटा खुर्द, थाना सं0–515 जमाबंदी नं0–55 दाग नं0–344 रकवा–00–01–04 धूर जमीन से विपक्षी गण को उच्छेद करने का आवेदन दाखिल किया है। प्रस्तुत वाद में आवेदक का कथन है कि जमाबंदी नं0–55 की जमीन जमाबंदी रैयत राम जानी मियॉ वगैरह पेसरान गुलु मियॉ वो रहमली मियॉ वगैरह पेसरान झारू मियॉ वो ओजादा बीबी वगैरह के नाम से सर्वे खतियान में दर्ज है।

विपक्षीगण अवैध रूप से दखलकार है। उन्हे उच्छेद किया जाय। विपक्षीगण के द्वारा इस वाद में कारणपृच्छा दाखिल किया है। अंचल अधिकारी गोड्डा सदर का पत्रांक–564/रा0 दिनांक–12.04.2016 के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि वादी बीबी नजबुन से पूछ ताछ करने पर उन्होने बताया कि प्रतिवादी मु0 जमालुद्दीन जामबंदी रैयत के ही परिवार से संबंधित है। जानकारी के अभाव में उन्हे प्रतिवादी के विरूद्ध शिकायत आवेदन दी थी। अब/वादी प्रतिवादी शांति पूर्ण तरिके से रह रहे है। वादी के द्वारा शपथ पत्र संख्या–395 दिनांक–06.04.2016 समर्पित किया गया है। दोनो पक्षो के द्वारा एक समझौता आवेदन दिनांक–20.06.2019 को दाखिल किया है। जिसमे कहा गया है कि उभय पक्ष आपस में पड़ोस वो हित कुटुम्ब है। द्वितीय पक्ष के पूर्वज से ही मकान बनाकर बसोबास करते चले आ रहे है। आवेदिका को कोई लेना देना नही है। इस वाद को आवेदिका नही लड़ना चाहती है।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों एवं सुलहनामा आवेदन के अवलोकन करने से स्पष्ट है कि विपक्षी का उक्त जमीन पर मकान बना हुआ है। दखल कार है। जिस नाते प्रश्नगत वाद में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा–20 एवं 42 के तहत आवेदिका का आवेदन चलने योग्न नहीं है।

अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

18-8-23

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।

18-8-23

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।

Digitally signed by MITHILESH KUMAR CHOUDHARY
Date: 2024.09.04 14:15:24 +05:30
Location: 192.168.29.124